न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

(पंचायत) निगरानी संख्या 04 / 16 वर्ष 2016

बउनवानीः–रामसहाय पुत्र सोनीराम बैरवा निवासी ग्राम उदगांव तहसील बौंली जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

1. भोरया पुत्र ग्यारसा बैरवा निवासी उदगांव तहसील बौंली, जिला सवाईमाधोपुर
2. सरपंच ग्राम पंचायत उदगांव जरिये सरपंच ग्राम पंचायत उदगांव प.स. बौंली
3. सचिव, ग्राम पंचायत उदगांव, पंचायत समिति बौंली जिला,सवाईमाधोपुर

(निगरानी विरूद्व आदेश पटटा आबादी विक्रय विलेख दिनांक 20.6.2011 ग्राम पंचायत उदगांव प.स. बौंली तह0बौंली जिला सवाईमाधोपुर विरूद्व निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम,1994)

उपस्थितः–1. श्री तौफीक मोहम्मद वकील प्रार्थी

–: निर्णय :– दिनांक 5.9.2018

निगरानी गुजरान द्वारा यह निगरानी सरपंच ग्राम पंचायत उदगांव के आबादी विक्रय विलेख दिनांक 20.6.2011 के विरूद्व इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि कथित आदेश पटटा आबादी विक्रय विलेख अवैधानिक है जिसको खारिज फरमाया जावे ।

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर की जाकर अदालत प्रस्तुत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया व विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी। किन्तु बावजूद तामील नोटिस उपस्थित नही होने के कारण बहस निगरानीकार की एक पक्षीय सुनी गयी।

वकील निगरानीकार ने दौराने सुनवायी कथन किया कि ग्राम पंचायत उदगांव द्वारा एक पटटा गुपचुप एवं गैर कानूनी तरीके से मिसल संख्या 2 दिनांक 9.4.2011 में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा अप्रार्थी संख्या एक को एक पटटा दिनांक 20.6.2011 को जारी कर दिया गया जो निरस्त किये जाने योग्य है। क्योकि ग्राम पंचायत उदगांव द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को जो पटटा दिनांक 20.6.2011 को जारी किया गया है वह राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियम 157(2) के अधीन जारी किया गया है उक्त नियम के अनुसार कब्जे के अस्थायी मकान झुग्गी झोपडी तथा पुराने कब्जे के आधार पर गरीब व्यक्तियों को नियमितिकरण करने का प्रावधान है। उक्त पटटा जारी करने मे उक्त नियम 157(2) राजस्थान पंचायत राज नियम,1996 का घोर उल्लंघन किया गया है जबकि उक्त भूखण्ड निगरानी गुजार के कब्जे का भूखण्ड है। उक्त भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 1 का किसी प्रकार से कोई कब्जा कभी नही रहा है और उक्त भूखण्ड आज भी खाली पडा हुआ है। उसमे अप्रार्थी संख्या 1 का किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नही है। मात्र ग्राम पंचायत उदगांव के सरपंच द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को फायदा पहुँचाने की गरज से यह गैर कानूनी रूप से पटटा जारी किया गया है। जो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1996 की धारा 157(2) को घोर उल्लंघन है इसलिए उक्त पटटा दिनांक 20.6.2011 निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि उक्त पटटा जारी करते वक्त ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पटटा कमांक व पटटा संख्या के कालम को भी खाली छोड दिया है। जिससे यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत उदगांव द्वारा उक्त पटटा आनन फानन में जारी किया गया है। तथा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त पटटा प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र मे यह कही भी अंकन नही है कि उक्त भूमि पर अप्रार्थी का कब से कब्जा है तथा उक्त कब्जे के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये ओर ना ही सन्तुष्टि पूर्वक कोई दस्तावेज उक्त आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये है। मात्र अप्रार्थीगण की मिलीभगत के कारण कानून को ताक में रखकर यह पटटा जारी किया गया है। यह कथन भी किया कि उक्त भूखण्ड प्रार्थी के कब्जे मे है तथा उक्त भूखण्ड हेतु निगरानी गुजार ने ग्राम पंचायत मे आवेदन कर रखा है। ऐसी स्थिति में उक्त भूखण्ड के दो खरीददार होने की स्थिति में राजस्थान पंचायती राज नियम,1996 की धारा 141 के अनुसार भूमि विक्रय निलामी के माध्यम से की जानी चाहिए थी किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा कानून का उल्लंघन कर पटटा जारी किया गया है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। तथा ग्राम पंचायत द्वारा यह भी नही देखा गया कि मौके पर उक्त नाप का कोई भूखण्ड है या नही फिर भी आनन फानन में ग्राम पंचायत उदगांव द्वारा यह पटटा अप्रार्थी संख्या 1 को दिनांक 20.6.2011 जारी किया है जो खारिज किया जावे क्योकि आवंटी भोरया व ग्राम पंचायत के सरपंच व सचिव का

घनिष्ठ संबंध होने के कारण दोनो अप्रार्थीगण ने आपस में साज करके मात्र 2 माह के अन्दर अन्दर यह पटटा जारी किया गया है इस प्रकार छल कपट व गैर कानूनी तरीके से प्राप्त किया गया पटटा प्रारम्भ से शुन्य है और ऐसे आवंटन को कभी भी निरस्त किया जा सकता है। इसमे मयाद की बाधा नही आती है तथा निगरानी पेश करने मे मियाद का बिन्दु बाधा नही है। अतः प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष मे जारी किये गये पटटे को निरस्त करवाने बाबत वकील निगरानीकार द्वारा निवेदन किया गया।

वकील निगरानी गुजार की और से प्रस्तुत तथ्यों को श्रवण करने के पश्चात् सम्बन्धित पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रथम तो अप्रार्थी के पक्ष मे जारी किये गये पटटे की भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा अथवा कोई हित निहित हो ऐसा कोई तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध नही है ओर ना ही वकील प्रार्थी ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया जिससे यह सिद्व होता हो कि अप्रार्थी द्वारा उनके कब्जे शुद्वा भूखण्ड की भूमि पर पटटा बनवाया हो। जहॉ तक ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पटटा पंचायत राज अधिनियम,1996 के नियम 157 (2) की शर्तो के विरूद्व जारी करने का वकील प्रार्थी का कथन है तो उक्त पटटा नियम 157(2) की शर्तो के मुताबिक ही जारी किया गया है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय की मिसल मे उपलब्ध मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 25.5.2011 के मुताबिक अप्रार्थी भोरया का 25 वर्ष पुराना कब्जा/आधिपत्य बताया गया है एवं नियम 157(2) के अनुसार वर्ष,2003 तक झुग्गी–झोपडी/ कच्चे–गृह के निर्माण तौर पर आबादी भूमि पर कब्जा अधिकतम 300 वर्गगज तक कब्जे के मुपत विनियमितीकरण के हकदार होगे। इसके अतिरिक्त उक्त पटटा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत सम्पूर्ण कार्यवाही (यथा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होना, आपत्ति नोटिस जारी करना, मौका निरीक्षण रिपोर्ट तैयार) करवायी जाकर विधिवत पटटा जारी किया गया है किन्तु प्रार्थी द्वारा तत्समय अपनी आपत्ति ग्राम पंचायत मे पेश नही की गयी है। पटटे की प्रति पत्रावली पर उपलब्ध नही होने बाबत वकील निगरानीकार द्वारा किये गये कथन के आधार पर भी उक्त पटटा निरस्त नही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायाल द्वारा विधिसम्मत पारित आदेश जैर निगरानी मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही है। परिणाम स्वरूप निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर आदेश जैर निगरानी यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 5.9.2018 को लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(पी0सी0पवन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर